न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 32/2018

बउनवान

देवकिशन उम्र 40 साल पुत्र श्री रामकल्याण जाति–कुम्हार निवासी– कोटडी पाठेडा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 **(अपीलांट)**

उपस्थिति :–1. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 30.05.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 290 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 275/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये निर्णय पारित किया है। आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत पुष्टि नहीं की गयी है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कटजा नहीं है, कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील प्रोपर नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर नहीं दिया है एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे के संबंध में कोई जॉच व तहकीकात नहीं की है ना हीं स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये है। कयास मात्र के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं गैरकानूनी है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुयी है तथा उसके विरूद्व बकाया तावान राशि भी अपीलांट ने जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 397/12 निर्णय दिनांक 22.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर पूर्व में मिसल नम्बर 397/12 निर्णय दिनांक 22.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 885/14 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इ... सिंह राव)
...टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official